SC-02

संख्या– 11 /XXVII(7)/32(01)/2021

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2021

विषयः– ई– प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत कियाविधि पोर्टल (Procurement Grievance Mechanism Portal) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोक्योरमेंट हेतु जो ई–निविदायें प्रकाशित होती हैं, उनके संदर्भ में कतिपय विसंगतियां/त्रुटियां होने की शिकायत दर्ज होने पर उनके समाधान हेतु वर्तमान में कोई ऑनलाईन व्यवस्था नहीं है। प्रोक्योरमेंट में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्तमान में विश्व बैंक सहायतित UkPFMS परियोजना के अन्तर्गत प्रोक्योरमेंट समाधान पोर्टल लांच किया जा रहा है, जिसका वेब लिंक http://pgrm.uk.gov.in है। इस पोर्टल का उपयोग राज्य के उन सभी विभागों/प्रतिष्ठानों को करना अनिवार्य होगा, जिन पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली लागू है। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAP)/भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रोक्योरमेंट भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की ई–निविदायें जिनका संभावित मूल्य रू0 1.00 करोड (रू0 एक करोड) या अधिक है, में उसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से इस पोर्टल में की जायेगी। इस पोर्टल के उपयोग व इसमे प्रविष्टियों का अंकन किये जाने की प्रकिया निम्नवत् होगी:–

1. ई–निविदा प्रकाशित करने वाले सभी सरकारी/अन्य संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी को सर्वप्रथम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विभागाध्यक्ष को login दिया जायेगा, जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थ user create कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु उसे ई–मेल अंकित करना होगा एवं यथानिर्दिष्ट प्रविष्टियों का अंकन पोर्टल में करना होगा।
2. जब कभी किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई ऐसी ई–निविदा, जिसका अनुमानित मूल्य रू0 1.00 करोड (रू0 एक करोड़) या उससे अधिक हो, ई–निविदा पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी तो उसके द्वारा सम्बन्धित निविदा का आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। इससे सम्बन्धित ई–निविदा की निविदा आई0डी0 एवं अन्य विवरण पोर्टल पर प्रदार्शित होने लगेगी।
3. शिकायत/सुझाव दर्ज करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसे विभाग का नाम एवं निविदा की आई0डी0 का अंकन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर उसके मेल पर एक लिंक आयेगा, जिसे क्लिक करने पर ही वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् उस व्यक्ति के सामने शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु स्कीन खुलेगी, जिस पर वह निविदा के तकनीकी/वित्तीय पक्षों पर अपनी शिकायत/सुझाव का अंकन करेगा, जो अधिकतम 500 शब्द का हो सकेगा। इसको पूर्ण करने के पश्चात् पोर्टल पर submit किया जायेगा। शिकायत के पोर्टल पर submit होते ही निविदा आमंत्रित करने वाले

शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगी। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. इस प्रकिया का MIS भी यथावश्यक रखा जायेगा।
12. प्रारम्भ में यह पोर्टल ITDA के सर्वर पर Host किया जायेगा। कालान्तर में राज्य सरकार के प्रोक्योरमेंट का परिवर्तित पोर्टल तैयार होने पर उसी पोर्टल में एक लिंक के द्वारा इस पोर्टल को समाहित किया जायेगा।
13. परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त पोर्टल का रख–रखाव निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में ई–प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)/32(01)/2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।